बिहार सरकार

शिक्षा विभाग· शाखा सचिवालय, राँची ।

पत्रांक-229-------जे0/जी01--24/85रि0--------/दिनांक 16 जनवरी, 1987

प्रेषक,

श्री ई0 वी0 बखला,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

अनौपचारिक रूप
[illegible]

महालेखाकार, बिहार, विस्कोमान भवन, पटना
-------------------------------------------
महालेखाकार, बिहार, पी0 हिनू, राँची ।

× § द्वारा वित्त विभाग §

विषय : जनजाति क्षेत्र में राँच विश्वविधालय में जनजाति भाषाओं को पढ़ाई हेतु व्याख्याताओं के पदों का सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 1986-87 में राशि स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्र के राँची विश्वविधालय में जनजाति भषाओं की पढ़ाई हेतु वित्तीय वर्ष 1986-87 में 19 व्याख्याताओं के पदों के सृजन हेतु 1,42,500/- §एक लाख बयालीस हजार पाँच सौ रुपये§ की स्वीकृति करने की कृपा की है । स्वीकृत व्याख्याताओं के पदों का विस्तृत विवरण की प्रति संलग्न है ।

2- - पूर्ण राशि [illegible] कोषागार से निकासी कर पटना सचिवालय कोषागार स्थित विश्वविधालय शिक्षा कोष नामक पी0एल0 एकाउन्ट में जमा की जायेगी तथा शासन का आदेश प्राप्त कर महाविधालयों को विमुक्त की जायेगी ।

3- [illegible] व्यय का विकलन चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक शीर्ष " 277-शिक्षा-[illegible]-विश्वविधालय तथा अन्य उच्च शिक्षा-जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना-उपयोजना राँची विश्वविधालय-सहायक अनुदान अनावर्तक से होगा । इसके लिये पुनर्विनियोग द्वारा राशि का उपबन्ध किया गया है ।

4- महालेखाकार बिहार, राँची से अनुरोध है कि स्वीकृति राशि का प्राधिकार पत्र पटना सचिवालय कोषागार से निकासी करने हेतु लेखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के नाम निर्गत करने की कृपा करें ।

5- भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इन संस्थाओं का लेखा अंकेक्षण करें। राज्य के संचित निधि से जिन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत किया गया है उसका लेखा अलग रखा जायेगा। इसका अंकेक्षण प्रतिवेदन एक्जामिनर लोकल एकाउन्टस द्वारा कराकर भेजा जायेगा।

6- निदेशक (उच्च शिक्षा) बिहार एवं लेखा पदाधिकारी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ सूचित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

(ई० वी० बखला)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 229/जी0/जी0-24/85/शि0, दिनांक - 16.1.87

प्रतिलिपि :- व्यय विवरणी के साथ क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची/ योजना/ वित्त विभाग, शाखा सचिवालय, रांची/ निदेशक (उच्च शिक्षा), बिहार पटना/ लेखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, पटना/ शिक्षा विभाग (प्रशाखा-1/20/12/योजना कोषांग/ उप कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची/ संबंधित कालेज के प्राचार्य/ प्राचार्या/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना/ श्री केदार सिंह, लेखा लिपिक विश्वविद्यालय, शाखा, शिक्षा विभाग, पटना/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(ई० वी० बखला)
सरकार के उप सचिव।

वित्तीय वर्ष 1986-87 में जनजातिय क्षेत्र में स्थित रांची विश्वविद्यालय रांची में जनजाति भाषा की पढ़ाई हेतु व्याख्याताओं के पदों का सृजन हेतु राशि की स्वीकृति ।

| क्रमांक | महाविद्यालय का नाम | भाषा जिसकी पढ़ाई प्रस्तावित हैं । | सृजित व्याख्याताओं के पदों की संख्या । | चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 में स्वीकृत राशि । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **रांची विश्वविद्यालय, रांची** | | | |
| 1· | एस० एस० मेमोरियल कालेज, रांची- | नागपुरी | 1 (एक) | 5,000 |
| 2· | जी०एल०ए० कालेज, डाल्टेनगंज- | कुरुख | 1 (एक) | 5,000 |
| 3· | एस०एस० मेमोरियल कालेज, रांची- | कुरुख | 1 (एक) | 5,000 |
| 4· | एस०एस० मेमोरियल कालेज, रांची- | मुंडारी | 1 (एक) | 5,000 |
| 5· | कार्तिक उरांव कालेज गुमला- | मुंडारी | 1 (एक) | 5,000 |
| 6· | सिमडेगा कालेज सिमडेगा- | मुंडारी | 1 (एक) | 5,000 |
| 7· | रांची कालेज, रांची- | हो- | 1 (एक) | 5,000 |
| 8· | मारवाड़ी कालेज, रांची- | खड़िया- | 1 (एक) | 50000 |
| 9· | कार्तिक उरांव कालेज, गुमला- | खड़िया- | 1 (एक) | 5,000 |
| 10· | बी०एन० कालेज, सिसई- | खड़िया- | 1 (एक) | 5,000 |
| 11· | केन्द्रीय रांची कालेज, रांची- | कुरमाली | 1 (एक) | 5,000 |
| 12· | एस० एस० मेमोरियल कालेज रांची- | कुरमाली | 1 (एक) | 5,000 |
| 13· | महिला कालेज , रांची | कुरमाली | 1 (एक) | 5,000 |
| 14· | मारवाड़ी कालेज, रांची- | कुरमाली | 1 (एक) | 5,000 |
| 15· | बिरसा कालेज, खुंटी- | कुरमाली | 1 (एक) | 5,000 |
| 16· | रांची कालेज, रांची- | पंचपरगनिया | 1 (एक) | 5,000 |
| 17· | रांची महिला कालेज, रांची- | पंचपरगनिया | 1 (एक) | 5,000 |
| 18· | रांची कालेज, रांची- | [illegible] खोरठा | 1 (एक) | 5,000 |
| 19· | रांची महिला कालेज, रांची- | [illegible] खोरठा | 1 (एक) | 5,000 |
| 20· | प्रत्येक कालेज को जनजाति भाषा के पुस्तक आदि के क्रय हेतु 2,500/- के हिसाब से | | | 47,500 |
| | | | 19 पद | 1,42,500 |

(एक लाख बयालीस हजार पांच सौ मात्र)

229
16.1.87

16.1.87

(ई० बी० बखला)
सरकार के उप सचिव ।

सं०-14/जी01-027/87 362/मा०स०

बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग,
शाखा सचिवालय, रांची।

प्रेषक,

श्री युंजीन बतोल बखला,
सरकार के संयुक्त ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पो०-हिनू, रांची ।

.ारेक xx {द्वारा वित्त विभाग}

.ति ।

रांची, दिनांक 15-3-89

विषय- जनजाति क्षेत्र में महाविद्यालयों में जनजाति भाषाओं की पढ़ाई हेतु व्याख्याताओं के पदों के सृजन हेतु राशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में जनजाति भाषाओं की पढ़ाई हेतु वित्त. वर्ष 1988-89 में 18 {अठारह} पदों के सृजन हेतु टोकन रूप में 31,500/-रू0 {एकतीस हजार पांच सौ}रुपये की स्वीकृत करने की कृपा की है । स्वीकृत व्याख्याताओं के पदों का विस्तृत विवरणी संलग्न है । पदों का सृजन आदेश निर्गत होने की तिथि से 31.3.89 के लिए किया गया है ।

2. उक्त राशि का विकलन 2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा-796-जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना-उपयोजना-रांची विश्वविद्यालय सहायक अनुदान" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1988-89 में विकलनीय होगा ।

3. सम्पूर्ण राशि की निकासी अपर शिक्षा निदेशक, शाखा सचिवालय रांची करेंगे । ये महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि की निकासी कर सचिव, रांची विश्वविद्यालय, रांची को देंगे ।

4. महालेखाकार, रांची से अनुरोध है कि उपर्युक्त राशि का प्राधिकार पत्र अपर शिक्षा निदेशक, शाखा सचिवालय, रांची के पदनाम से रांची कोषागार से निकासी करने हेतु निर्गत करें ।

5. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त राशि का अंकेक्षण करें ।

6. निदेशक {उच्च शिक्षा}, बिहार, पटना/लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन, विकास विभाग को सूचित किया जा रहा है ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

मानव संसाधन विकास विभाग, पटना/कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची/सचिव, रांची विश्वविद्यालय, रांची/उच्च शिक्षा निदेशक, शाखा सचिवालय, रांची/संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

वित्तीय वर्ष 1988–89 में जनजाति क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में जनजाति भाषाओं की पढ़ाई हेतु 18 (अठारह) व्याख्याताओं के पद सृजन हेतु राशि की स्वीकृति:-

| क्रमांक | विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम | भाषा जिसकी पढ़ाई प्रस्तावित है | व्याख्याताओं के पदों की संख्या | चालू वित्तीय वर्ष 88–89 में राशि की स्वीकृति |
|---|---|---|---|---|
| | **रांची विश्वविद्यालय, रांची** | | | |
| 1. | राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, रांची (700–40–1100–50–1600/-) | नागपुरी, कुड़ुख, मुंडारी, कुरमाली | 4 (चार) (प्रत्येक के लिए एक-एक पद)- | 7,000=00 |
| 2. | डारन्डा महाविद्यालय, रांची- | नागपुरी, कुड़ुख | 2 (दो) (प्रत्येक के लिए एक-एक) | 3,500=00 |
| 3. | जगन्नाथ नगर महाविद्यालय, धुर्वा, रांची- | नागपुरी, मुंडारी | 2 (दो) प्रत्येक के लिए एक-एक पद) | 3,500=00 |
| 4. | मारवाड़ी महाविद्यालय, (महिला शाखा), रांची- | कुड़ुख, कुरमाली | 2 (दो) प्रत्येक के लिए एक-एक पद) | 3,500=00 |
| 5. | रांची महाविद्यालय, रांची- | कुरमाली, संथाली | 2 (दो) प्रत्येक के लिए एक-एक पद) | 3,500=00 |
| 6. | रांची महिला महाविद्यालय, रांची- | हो | 1 (एक) | 1,750=00 |
| 7. | | जीव विज्ञान<br>समाज शास्त्र- | 3 (तीन)<br>2 (दो))xx | 8,750=00 |
| | | | 18 (अठारह) पद | 31,500=00 |
| | | | (एकतीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) | |

xx महिलाओं के लिए सुरक्षित। किसी भी महाविद्यालय में प्रयोजनानुसार रखा जायेगा ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

3- उपर्युक्त दोनों प्रस्तावों में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी प्राप्त है।

4- स्वीकृत राशि [illegible] निम्नलिखित विवरणी निम्नवत है और उसकी विश्वविद्यालय के [illegible] प्राप्ति [illegible] है -

| 1 महाविद्यालय का नाम | 2 | 3 वर्ग-3 के नव स्वीकृत पद | 4 वर्ग-4 के नव स्वीकृत पद | 5 माह अगस्त 93 से फरवरी 94 तक पादी शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान के निमित्त स्वीकृत राशि (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1- | रांची कॉलेज, रांची | 14 | 5 | 3,05,667 |
| 2- | रांची विमेन्स कॉलेज, रांची | 15 | 2 | 2,05,743 |
| 3- | आर०एस०एस०वा०ई०कॉलेज रांची | 8 | 8 | 2,26,577 |
| 4- | एस०एस०मेमोरियल कॉलेज रांची | 16 | 23 | 5,25,000 |
| 5- | मारवाड़ी कॉलेज, रांची (व्यापार एवं वाणिज्य शाखा संयुक्त) | 57 | 16 | 11,27,007 |
| 6- | के०एन०कॉलेज गुमला रांची | 30 | 11 | 6,21,026 |
| 7- | बी०एस०कॉलेज, लोहरदगा | 27 | 10 | 4,78,072 |
| 8- | बिरसा कॉलेज खूंटी, रांची | 34 | 10 | 7,02,007 |
| 9- | जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज, जमशेदपुर | 33 | 22 | 7,52,416 |
| 10- | करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर | 31 | 6 | 5,71,770 |
| 11- | के०एस०कॉलेज, सरायकेला | 14 | 08 | 2,85,306 |
| 12- | बहरागोड़ा कॉलेज, बहरागोड़ा | 20 | 14 | 4,74,123 |
| 13- | सिंहभूम कॉलेज, चांडिल | 23 | 5 | 3,86,246 |
| 14- | घाटशिला कॉलेज घाटशिला | 28 | 7 | 5,22,564 |
| 15- | जी०एल०ए० कॉलेज डालटेनगंज | 30 | 7 | 5,77,054 |
| 16- | वाई०एस०एन०एम० कॉलेज डालटेनगंज | 30 | 1 | 4,04,435 |
| | योग:- | 412 | 164 | 83,07,477 |

(सिंहभूम तथा [illegible] कॉलेज [illegible] को उक्त राशि [illegible] जाय।

5- स्वीकृत राशि [illegible] 1993-94 [illegible] आवश्यकता निधि - 2202- सामान्य शिक्षा-03 विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा-

ज्ञाप संख्या- 1154 / पटना, दिनांक- 20/8/93

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पटना सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 1154 / पटना, दिनांक- 20/8/93

प्रतिलिपि- एसीस्टेन्ट रजिस्ट्रार {जूडिसियल} सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्रांक 694/91/एस०ई०सी० 10ए दिनांक 17.8.92 के प्रसंग में/श्री सरोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, 52 लायर्स चैम्बर्स, सर्वोच्च न्यायालय भवन, नयी दिल्ली को उनके अवमानना नोटिस दिनांक 18.1 .92 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 1154 / पटना, दिनांक- 20/8/93

प्रतिलिपि- निदेशक {उच्च शिक्षा} बिहार, पटना/वित्त विभाग {आय-व्ययक शाखा-1}/कुल सचिव, रांची विश्वविद्यालय, रांची {नव विभाजित}/ लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 14/20/श्री केदार प्रसाद सिंह, लेखापाल/श्री गणेश दास, सहायक, प्रशाखा-14, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 1154 /पटना, दिनांक- 20/8/93

प्रतिलिपि- श्री जी०एन०पाठक {याचिका के वादी} आर्यापुरी, रातू रोड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

पत्रांक– : 5/वे 4–03/2004 मा0 144 /

झारखण्ड सरकार,

मानव संसाधन विकास विभाग ।

अनुलग्नक-2

प्रेषक,

श्री फासिंस मिंज,
लेखा पदाधिकारी ।

सेवा में,

कुल सचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची ।

राँची, दिनांक – 04/3/05

विषय:– मारवाड़ी महाविद्यालय राँची के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में ।

प्रसंग:– आपका पत्रांक वी0/10150 दिनांक 23.7.04

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके पत्रांक वी0/10150 दिनांक 23.7.04 के साथ भेजे गए पदों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

(i) जुलाई 1976 के वेतन पंजी के अनुसार :–

| पदनाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| प्रधान लिपिक | 1 (एक) |
| लाईब्रेरियन | 1 (एक) |
| [redacted] लेखापाल | 1 (एक) |
| यू0डी0सी0 | 2 (दो) |
| एल0डी0सी0 | 1 (एक) |
| एसिस्टेंट यू0डी0सी0 | 1 (एक) |
| लाईब्रेरी एसिस्टेंट | 4 (चार) |
| आदेशपाल | 7 (सात) |
| दरवान | 1 (एक) |
| स्वीपर | 2 (दो) |
| दाई | 1 (एक) |

(ii) सरकारी पत्रांक 593 दिनांक 5.3.79 के अनुसार :–

| पदनाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| स्टोरकीपर | 4 (चार) |
| प्रयोगशालावाहक | 4 (चार) |

(iii) सरकारी पत्रांक 1154 दिनांक 20.8.93 के अनुसार :–

| पदनाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| लैब इंचार्ज | 15 (पन्द्रह) |